लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1615

10 फरवरी, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

ओपन-एंड स्पिनिंग मिल

1615. श्री ससिकांत सेंथिल:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत वर्ष के दौरान तमिलनाडु सहित उत्पादन में कमी करने वाली ओपन-एंड स्पिनिंग मिल का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कपास अपशिष्ट की बढ़ती कीमतों और धागे की गिरती कीमतों ने उक्त मिलों की लाभप्रदता को प्रभावित किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त स्थिति का रोजगार, विद्युतकरघा और हथकरघा उद्योगों जैसे संबद्ध क्षेत्रों पर क्या प्रभाव है;

(घ) विद्युत की लागत और कच्चे माल की कीमतों में अस्थिरता के कारण उक्त मिलों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने कपास अपशिष्ट के निर्यात के मुद्दे की जांच की है और यदि हां, तो सरकार ने इस क्षेत्र को संतुलित करने और प्रभावित मिलों को सहायता प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

उत्तर

वस्त्र राज्य मंत्री

(श्री पबित्र मार्घेरिटा)

(क): इस मंत्रालय के पास ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है क्योंकि गत वर्ष के दौरान मिलों या किसी मान्यता प्राप्त उद्योग संघ से कम उत्पादन के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) से (घ): पिछले तीन कपास वर्षों (अक्टूबर-सितंबर) अर्थात् 2022-23 से 2024-25 के लिए कपास अपशिष्ट के निर्यात और उसके संगत मूल्य का डेटा नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	वर्ष	कपास अपशिष्ट का निर्यात		
		टन	कीमत (रुपए लाख में)	रु. प्रति किलोग्राम
1.	2022-2023	52,431.52	67,641.28	129.01
2.	2023-2024	56,190.10	61,917.24	110.19
3.	2024-2025	51,856.32	54,486.98	105.07

स्रोत: भारत के विदेश व्यापार के मासिक आँकड़े, DGCIS, कोलकाता

उपर्युक्त डाटा के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि कीमतें 129.01 रुपए प्रति कि.ग्रा. से घटकर 2024-2025 में 105.07 रुपए प्रति कि.ग्रा. हो गई हैं। इस तरह, कपास अपशिष्ट की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है। वर्तमान डेटा से यह नहीं पता चलता है कि कपास अपशिष्ट की कीमतों के कारण ओपन-एंड स्पिनिंग मिल्स के लाभ पर कोई बुरा असर पड़ा है।

इसके अतिरिक्त, मंत्रालय को पावरलूम और हैंडलूम उद्योगों जैसे जुड़े हुए सेक्टर पर या रोजगार पर किसी प्रतिकूल प्रभाव की रिपोर्ट नहीं मिली है। उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि ओपन-एंड स्पिनिंग मिल्स से जुड़े कच्चे माल की कीमतों में स्थिरता है, जबकि बिजली की लागत संबंधित राज्य विद्युत नियामक प्राधिकरण द्वारा लागू नियमों के अनुसार तय होती हैं।

(ङ): कपास अपशिष्ट (आईटीसी एचएस 5202) एक मुक्त निर्यात योग्य सामग्री है। सरकार ने डीजीसीआईएंडएस के निर्यात डेटा की जांच की है, जिससे पता चलता है कि पिछले वर्ष के मुकाबले 2024-25 में कपास अपशिष्ट का निर्यात 7.71% कम हुआ है। इसलिए, ऐसा कोई खास बदलाव नहीं है जिसके लिए तुरंत सरकारी दखल की ज़रूरत हो।

***